



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 11/2025/D-20

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 261158 दिनांक 11/10/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Mahesh Chand Gupta S/o Sita Ram Gupta	श्री ऋषि मेहता पुत्र श्री विजय मेहता एवं श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा पुत्र स्व. श्री प्रहलाद शर्मा	686	256.50 SQ. METER	JDA	ROHINI NAGAR -I	Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) Original Lease Deed (Patta)	श्री महेश चन्द गुप्ता पुत्र सीताराम गुप्ता द्वारा जविप्रा की आवासीय योजना रोहिणी नगर प्रथम के भूखण्ड संख्या 686 क्षेत्रफल 256.50 वर्गमीटर का लीजहोल्ड से फ्री होल्ड पट्टा जारी किये जाने हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखण्ड की लीजडीड दिनांक 26.11.2012 द्वारा श्री ऋषि मेहता पुत्र श्री विजय मेहता एवं श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा पुत्र स्व. श्री प्रहलाद शर्मा के पक्ष में जारी की गयी है।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

								तत्पश्चात श्री ऋषि मेहता पुत्र श्री विजय मेहता एवं श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा पुत्र स्व. श्री प्रहलाद शर्मा ने रजि. विक्रय पत्र दिनांक 20.11.2024 द्वारा श्री हासा नन्द डियालानी पुत्र श्री उत्तम चन्द डियालानी को बेचान किया गया है। तत्पश्चात श्री हासा नन्द डियालानी द्वारा रजि. विक्रय पत्र दिनांक 15.09.2025 को आवेदक श्री महेश चन्द गुप्ता पुत्र सीताराम गुप्ता को बेचान किया गया है।
--	--	--	--	--	--	--	--	--

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Mahesh Chand Gupta S/o Sita Ram Gupta को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।